

THE ADVOCATE (AMENDMENT) BILL, 1980

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHIV SHANKAR): Mr. Deputy Chairman, Sir, I move:

"That the Bill further to amend the Advocates Act, 1961, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

Sir, this Bill is a very short one which seeks to make two small amendments to the Advocates Act, 1961. The other House found it to be non-controversial and I hope that the position would not be different in this House.

The first of these amendments is designed to do away with an anomaly which has come to light recently. As the House is aware, the dual system was in force on the Original Side of the High Courts of Calcutta and Bombay for several years. This meant that an advocate was required to be instructed by an attorney who alone was entitled to appear on the Original Side. The attorney was, however, not entitled to plead before the court. (Interruptions). The attorneys were a class of practitioners. (Interruptions).

DR. RAFIQ ZAKARIA: (Maharashtra). Mr Bhupesh Gupta, your Special Mention is gone.

SHRI SHIV SHANKAR: The attorneys were a class of practitioners. (Interruptions)

SHRI NAGESHWAR PRASAD SHAHI (Uttar Pradesh): Mr. Deputy Chairman, Sir, kindly ask Dr. Zakaria not to interrupt the proceedings.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Order, please.

SHRI SHIV SHANKAR: The existence of the dual system which was

found to be only in these two cities in India occasioned a certain amount of controversy. Parliament finally considered it desirable to do away with the institution of attorneys so that there could be a unified bar and only one class of legal practitioners, namely, advocates. In order to give effect to this object, the Advocates (Amendment) Act, 1976 was passed which abolished the class of legal practitioners known as attorneys and the pre-existing attorneys became advocates. However, for the purpose of determining their seniority as advocates, their earlier experience and standing as attorney was not taken into account. This resulted in the anomaly of very many senior attorneys, who had been practising as such for several years and were as well qualified becoming junior to those advocates who joined the legal profession very much later and whose standing in the profession was less. The views of the Bar Council of India were sought on this anomaly and the Bar Council agreed that it would only be right to give the attorneys who became advocates an appropriate seniority having regard to their earlier standing in the legal profession. It is, therefore, proposed to amend sub-section (3) of section 17 to provide that the seniority of an attorney enrolled as an advocate shall be determined in accordance with the date of his enrolment as an attorney.

The work of the Government of India in the Supreme Court and the High Courts has considerably increased. And in order to ensure that cases are properly defended, it had become necessary to appoint a second Additional Solicitor-General. The terms and conditions of appointment of the second Additional Solicitor-General as well as his position in the warrant of precedence are the same as that of the Additional Solicitor-General. His functions are also the same. It is, therefore, both proper and necessary that statutory recognition should be given to the office of the second Additional Solicitor-General so that he

[Shri Shiv Shankar.]

may have pre-audience immediately after the Attorney-General, the Solicitor-General, and the Additional Solicitor-General. It is, therefore, proposed to amend section 23 of the Advocates Act to give to the second Additional Solicitor-General a right of pre-audience immediately after the Additional Solicitor-General and before the Advocates-General of the States.

I would, therefore, commend this measure to the House.

The question was proposed.

SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA (Orissa): Mr. Deputy Chairman, Sir, the basic object of this Advocates (Amendment) Bill has been described by the hon. Minister in details in its historical context and I accept and support it. But what I would like to point out to the hon. Law Minister in this connection is that this kind of piece-meal amendment to an important Act like the Advocates Act should not have been there. The idea that was expressed at various stages of the Consultative Committees and elsewhere was to bring about a comprehensive amendment to this Advocates Act. There are so many things to be done with regard to the provisions of the Advocates Act, and so many suggestions have been made as, for example, to do away with the classification between the attorneys and the advocates. And that has been done now. Then there is the question of juniority and seniority. The present amendment seeks to set right the problem of juniority and seniority, and to give recognition to the second Additional Solicitor-General and to give him the necessary legal sanction for getting his job done. It is all right so far as it goes. But the main point that I would like to make is that there should be some serious thinking about the changes to be effected in the Advocates Act consonant with the change in the times, consonant with the requirements of the society, consonant with the desire for bringing about socio economic transformation, consonant with the idea of giving legal aid to the poor, and consonant with the

idea of the role that the advocates could and should play so far as the poor litigants of this country are concerned. If all these things together could have been brought about in a comprehensive amendment, then it would have been much better. In any case, Sir, the scope of this Bill is very limited, and that limited amendment is moved to achieve the limited objective. And I support this limited objective. And I also commend acceptance of the Bill by this House. Thank you, Sir.

SHRI MAQSOOD ALI KHAN (Karnataka): Mr. Deputy Chairman, Sir, as has been explained by the hon. Minister of Law, the Bill does not call for any elaborate discussion. But I take this opportunity to express myself upon certain points that usually agitate the minds of lawyers and the general public.

Sir, the fundamental question that arises today is that after about 33 years of Independence, we have just now been criticising the judiciary or the lawyers, and that dispensation of justice in the country is very expensive and time-consuming. We have been making laws and I think, Sir, thousands and thousands of laws we have made, whether it is in our Parliament in Delhi or in the various State Capitals, but hundreds and thousands of laws have been made. The question is who is there in the country who is getting benefited by such laws? We speak of the common man. How far can the common man get a law to his benefit made or applied? Law today, as the procedure stands, is a necessity for the rich man, for the rich; the poor cannot afford to go to courts. We have spoken, Sir, so many times about aid to the poor, about legal aid to the poor; but how far has it been effective? What about the court fee itself? What about the other things that we have to pay in the courts? Have we ever thought that this judicial system that we are now having in the country is not suited to our genius, that it does not conform to our traditions to all, though it is elaborate? It has been built up for over 100 years. I have seen that even

in Canada and America there have been references to Indian precedents. They have praised them. And it is said that the Indian judicial system is the most elaborate system in the world. Not only it is the most elaborate system, it is the most intricate system also and it is the most expensive system also.

Now that the hon. Law Minister is there and he is thinking mostly in terms of the common man I think a change, a complete change is required in this country. Sir, very long back in the days of Pandit Jawaharlal Nehru, when we were thinking of Nyaya Panchayats, we thought that justice should be dispensed at the level of villages itself and the people should be taught how to dispense justice, how to make the panchayats hear their grievances, but all that was kept in a cold storage. Nothing was done. They say that law is nothing but commonsense. But I can say that hardly any man of commonsense can understand law as it is. It is such a technical subject that unless you get assistance from experienced lawyers, you are not able to win your case in courts. And criticism is made against the lawyers. They say that this set of people or this class of people are responsible for lengthening the procedure, for seeing that justice is not made. But whose creation they are? They are the creation of the judicial system that we are having in this country. If you do not take the assistance of lawyers, what will happen? I know and the Law Minister knows it fully well. Sir, in Karnataka, where under the ceiling laws we debarred the lawyers from appearing before tribunals, all the tribunals went on taking up the cases of these land 3-00 P.M. ceilings. They decide the cases. Ultimately when these cases go in appeal to the High Court under Article 226 of the Constitution, I must say that the High Court in very many cases has criticised the way in which these Tribunals proceed with the cases, and they said that the Tribunals had no legal competence; they do not have any legal acumen to go through these cases and in very

many cases, the decisions have been reversed. This is the system we are having. Why to blame anybody—whether the judges or the lawyers? We are here to make laws, make laws simple. Even take the case of sales tax Act. You ask a petty vendor what kind of trouble he is put to. Take the income tax Act. You ask an assessee what trouble he is put to. You cannot understand these laws or the intricacies of these laws. All these laws are so complicated; they are so intricate that a special knowledge is required. So unless we try to simplify these laws, unless we try to simplify the procedures, we would not be able to succeed. For a common man to get his due or to get a relief, is a dream. I do not know when this dream is going to be fulfilled. I would, therefore, stress-taking this opportunity—upon the Law Minister that we must make a move in the right direction, try to simplify the laws, for which an overall change is required, and we must try to see that the laws are simplified and the procedure is simplified. Thank you.

श्री शिव चन्द्र झा (बिहार) : उपसभा-पति महोदय, जहाँ तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, इसमें कोई ज्यादा विवाद नहीं है। इसमें जो सीनियरिटी वे देना चाहते हैं इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं है। जो विधेयक है उसका हम समर्थन करते हैं परन्तु क्योंकि सदन के सामने यह विधेयक आया है एडवोकेट (अमेड-मेंट) बिल, इससे सम्बन्धित कुछ बातें अभी देश में चल रही हैं जिनको भी ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है। हाल ही में एडवोकेट्स का एक सम्मेलन हुआ था, दिल्ली में। प्रधान मंत्री जी भी वहाँ पर गई थीं और वहाँ पर एक विस्फोट छोड़ा गया और चिंगारी छोड़ी गई और कहा गया कि देश में प्रेसिडेंसियल सिस्टम हो या पार्लियामेंटरी सिस्टम हो। कौन-सा सिस्टम अच्छा है। यह जो विधेयक है एडवोकेट उसको एक्सप्लाइट करेंगे, मैन्युलेट करेंगे अपने निहित दृष्टिकोण को पूरा करने के लिये कि अगर देश में प्रेसिडेंसियल सिस्टम यदि हो जायेगा तो बड़ा अच्छा होगा। परन्तु हमारे देश

[श्री शिव चन्द्र झा]

में वह सिस्टम ठीक नहीं होगा। उसमें एक व्यक्ति के हाथ में सारी पावर केन्द्रित हो जायेगी। शायद प्रधान मंत्री चाहती हैं कि सारी पावर मेरे हाथ में आ जाय। इससे वे देश का सर्वेसर्वा हो जायेंगी। तो मेरा कहना है कि एडवोकेट लोग जो हैं वे इस तरह की चर्चा करते हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम देश के लिये घातक है। हमारी जो सामाजिक बनावट है उसमें हीरो वशिप की भावना है, सोशल दृष्टिकोण ऐसा है कि एक व्यक्ति की पूजा बहुत जोर से होने लगती है अगर एक आदमी के हाथ में ताकत आ जाय। अमरीका का वातावरण दूसरा है। वहां पर कांन्सेसस ज्यादा है। पोलिटिकली वे इसे एफोर्ड कर सकते हैं लेकिन हमारे देश की जो बनावट है, जो सामाजिक दृष्टिकोण है उसके लिये यह उपयुक्त नहीं है। इसलिये यह यहां पर चल नहीं सकता।

दूसरी बात जो कि इससे ही सम्बन्धित है वह यह है कि आपके एडवोकेट कचहरियों में, कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जिला कोर्टों में, काम करते हैं। लेकिन जनता के इन्साफ के लिए काम करते हैं इन्साफ वहां मिलता नहीं है। जब मैं जुडिशियरी पर कुछ बोलूंगा तो यह कहेंगे कि कमेंट कर रहे हैं लेकिन कभी तो किसी को बोलना पड़ेगा। यह जो जुडिशियरी की बनावट है इसमें बुनियादी परिवर्तन लाने की बात सोची जाए। हमारे यहां पर वर्तमान सिस्टम है क्या हम उसको बदल कर क्या हम ऐसा सिस्टम नहीं अपना सकते हैं जिसमें जज इलेक्टिड हों। क्या ऐसा सिलसिला हम नहीं चला सकते हैं? आप तो डेमोक्रेटाइज करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जनता का पार्टी-सिपेशन हो। जुडिशियरी में जजेज इलेक्टिड हों। यदि ऐसा कर दिया जाए तो क्या यह अनडेमोक्रेटिक होगा? क्या दुनिया में ऐसे जजेज नहीं चुने जाते हैं। क्या दुनिया में जजेज को चुनने का सिस्टम नहीं है? पूंजीवादी समाज में,

अमरीका में केलिफोर्निया में जजेज चुने जाते हैं। सर्किट कोर्ट में जजेज जनता द्वारा चुने जाते हैं। वहां पर सुप्रीम कोर्ट के जजेज नहीं चुने जाते। वे प्रेजिडेंट द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन छोटे लेवल पर चुनने का सिलसिला है। जनतंत्र का यह जो विंग है इसको भी डेमोक्रेटाइज करने का कदम ठीक है। यदि आप सुप्रीम कोर्ट के जजेज के लिए चुनने का सिलसिला नहीं चला सकते तो कम से कम जिला कोर्ट तथा हाई कोर्ट के जजेज के विषय में तो ऐसा कर सकते हैं। आप संविधान में संशोधन लाकर के यह कर सकते हैं कि जजेज चुने जाएं। अब इसके लिए इनका इलोकटोरल कालेज कौन होगा? मेरा कहना यह है कि जो प्रेक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं, अपने जिले में उन्हीं में से वे जज चुन सकते हैं और वोटर भी वहां के प्रेक्टिसिंग लायर्ज होंगे। जज होने का मतलब यह नहीं कि कोई ऐरे-नैरे आदमी को जज चुना जाए। यह तो ऐसा कोई एडवोकेट हो सकता है जो कम से कम 6 साल तक उस जिला में प्रेक्टिस कर चुका हो। इसलिए हम इस विंग को, जिसका कि झमेला रहता है कि जुडिशियरी फाइनल है, एग्जीक्यूटिव है या पार्लियामेंट है, यह सब झमेला खत्म हो जाएगा। यदि हम इस विंग को डेमोक्रेटाइज कर देंगे तो यह सब झमेला समाप्त हो जाएगा। इस विधेयक पर बोलते समय मैं इसलिए इस बात की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं कि इस सिलसिले में संविधान में संशोधन किया जाए ताकि इस विंग को डेमोक्रेटाइज किया जाए। पुलिस पर बोलते समय हम लोग कहते हैं कि पुलिस के महकमें में भी एस० पी० और डी०एस०पी० आदि सब जनता द्वारा चुने जाएं, इसलिए हमारा कहना यह है कि जुडिशियरी भी इलेक्टिड हो।

एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आपने इस विधेयक में यह कहा है कि सीनियर्टी दी जानी चाहिए, यह बात ठीक है कि सीनियर्टी होनी चाहिए। बहुत से नौजवान हैं जो अनइम्प्लायड वकील हो गए हैं लेकिन

उनकी वकालत चलती नहीं है। बड़े-बड़े मगर-मच्छ बैठे हैं कचहरी में जो कि सब केस ले लेते हैं लेकिन जो नौजवान नये आते हैं उनकी प्रैक्टिस चलती नहीं है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि वकीलों की एक कोऑपरेटिव बने जिसमें वे लोग भी कंट्रीब्यूट करें, सरकार भी कंट्रीब्यूट करे जिससे एक पूल बना रहेगा ताकि जिसकी ग्रामदानी महीने में इतनी नहीं होती है उसको इतना पैसा उस पूल से दिया जाएगा। इस तरह से इस तबके को आप कुछ आगे बढ़ा सकते हैं। वे लोग कहलाने को तो वकील हैं लेकिन सबसिस्टेंस लेवल के नीचे रहते हैं। यह सब मैं इस विधेयक के जरिये जूडिशियरी को ले कर सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूँ। जहां तक इस विधेयक का सवाल है इस पर मेरा एक संशोधन भी है कि इसको एक ज्वाइंट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाए। जो बातें मैंने रखी हैं, यह बातें उसमें आ जाती हैं इसलिए इन सारी बातों को ज्वाइंट कमेटी में थ्रेशआऊट करना है, इसलिए मेरा संशोधन है कि इसको ज्वाइंट कमेटी के सुपुर्द किया जाए। बाकी बातें मैं संशोधन पर बोलते समय कहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्री रामलखन प्रसाद गुप्त (बिहार): उप-सभापति महोदय, यह जो अमेंडमेंट आया है, वह बहुत ही इनोसेंट है और इसका विरोध करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। मैं इसको सहर्ष समर्थन देता हूँ। परन्तु, मैं कुछ दो चार सुझाव रखना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी कृपा करके उन पर विचार करें। इसमें सेक्शन 17 (3) में (ई) क्लॉज जोड़ने का अमेंडमेंट है इसमें अटोरीनी को जोड़ने की बात कही गई है। और जोड़ने का मतलब यह है कि जोड़ा तो गया है 1976 के अमेंडमेंट के अनुसार ही लेकिन उनकी सीनियारिटी मानी जायगी जब से वे एज अटार्नी इनराल होंगे।

सेक्शन 2(आई) में, जो डिफिनीशन का सेक्शन है उसमें ब्रीगल प्रैक्टिशनर

की डिफिनीशन में आता है :

It says: Legal practitioner means an advocate or vakil of any High Court, a pleader, Mukhtar or revenue agent.

यह जो लीडर है, ये प्लीडर भी वही होते हैं। प्लीडर जो कम से कम ला ग्रेजुएट होता है और यह ला ग्रेजुएट किसी भी तरह से अटार्नी से कम नहीं है। ये ला ग्रेजुएट जो प्लीडर हैं इनकी संख्या भी बहुत ज्यादा है। इनका भी अनुभव बहुत दिनों का रहा है, मैं नहीं समझ सकता कि मंत्री महोदय का ध्यान इन प्लीडर पर क्यों नहीं गया और अटार्नी के साथ यह प्लीडर भी जोड़ा होता तथा प्लीडर की सीनियारिटी भी उसी समय से मानी जाती। क्योंकि प्लीडर, जो प्लीडर रहा था वह उस समय सिर्फ 12 सौ रुपये था और उससे अधिक जो रखा गया है अमाउन्ट इन-रोलमेंट के लिए। वे रुपया नहीं देते थे इसलिए वे एज एन एडवोकेट इनरोल नहीं होते हैं लेकिन उनका एक्सपीरियेंस कम है यह बात नहीं कही जा सकती है। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से यह अनुरोध होगा कि प्लीडर को भी हर हालत में जब अटार्नी को सीनियारिटी दी गयी फ्रामवि इनरोलमेंट, तो उसको भी जोड़कर वे दूसरा अमेंडमेंट लायें और उसकी सीनियारिटी जब ए प्लीडर में इनरोलड है तब से मानी जाय।

दूसरे सेक्शन 23 में जो प्री आडीयंस की बात लायी गयी है, यह प्री आडीयंस की बात ठीक है, सदन ने एडीशनल सालिसिटर जनरल की पोस्ट क्रिएट की है कंसिडरिंग द नम्बर आफ द केसेज। यहां पर यह कहा गया है कि इनको आफ्टर एडीशनल सालिसिटर जनरल और विफोर एडवोकेट जनरल में प्री आडीयंस दिया जाय सेकेण्ड सालिसिटर जनरल को, यह ठीक है। जिस तरह से केसेज की संख्या बढ़ रही है और यह

[श्री रामलखन प्रसाद गुप्त]

सेकेण्ड एडीशनल सालिसिटर जनरल बहाल किया गया है तो उनको प्री आडीयंस का मिलना चाहिए और यह भी अमेंडमेंट सही है, हम इसका समर्थन करते हैं। परन्तु इन केसेज की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, सुरक्षा की तरह संख्या बढ़ती जा रही है, और तो बहुत सारे महकमें हैं मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता हूँ परन्तु मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कम से कम जो सुप्रीम कोर्ट है जहां से ज.दी जस्टिस मिलना चाहिए। यहां पर जो अभी 18 जजेज के बेंचेज हैं, यह 18 से संख्या समाप्त होने को नहीं है इसको कम से कम 18 से बढ़ाकर 21 कर दिया जाय, जजों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 21 कर दी जाय जिससे कि जो पांच या छः बेंचेज अभी बैठती हैं उससे बढ़कर 7-8 हो जाय, तो इससे कुछ राहत हमें मिलेगी। उसके बाद अभी हमारे माननीय शा जी ने जो यह कहा जूनियर वकीलों के विषय में, यह बहुत सही है कि जूनियर वकील जो हैं वे वकालत करना चाहते हैं इसलिए उस पेशे में जाते हैं ऐसी बात नहीं है, इसमें यह है कि इस समय यही एक ऐसा प्रोफेशन है जहां बेकार लोगो को राहत मिलती है। जो ला करते हैं उनको जब कोई काम नहीं मिलता है तो वकालत में चले जाते हैं और वहां पर उनकी हालत यह है कि जो पावर्टी लाईन से नीचे आम जनता रहती है उसमें बदतर हालत इनकी रहती है। मैंने ऐसे वकीलों को देखा है जिनके पास रिक्वे के लिए चार आने नहीं होते हैं, नाश्ते के लिए पैसे नहीं हैं, उनको कोई पान खिला दे तो वे दस्तखत कर देते हैं, यह बुरी हालत जो हुई है यह वकालत के प्रोफेशन की गिरावट नहीं है, यह आम समाज के अन्दर जो बेकारों की संख्या है, इसलिए हुई है। मैं यह

चाहता हूँ कि कोई जो वकालत शुरू करता है उसको अढ़ाई सौ रुपया पर मन्थ एक सविससर्टेस लेवल तक दिया जाय ताकि वह वहां से आगे बढ़ सके। जैसे बेकारों को भत्ता देने की बात है 50 या सौ रुपया हर स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। इसलिए जो वकील हैं वकालत करके उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, वकालत में पांच वर्ष के अनुभव के बगैर शायद ही कोई तकदीर वाला अपने पैरों पर खड़ा हो पाता हो, अन्यथा नहीं तो ऐसी हालत में उनको अढ़ाई सौ रुपया देना बहुत ही उचित होगा। हमारे बिहार में तो डाक्टरों को दिया जा रहा है। जो एम०बी० बी० एस० डाक्टर हैं अगर वे अपनी डिस्पेंसरी या क्लीनिक विलेज में खोलते हैं तो उनको चार सौ रुपया पर मन्थ तीन वर्ष मिलेगा। इसलिए अगर यह डाक्टरों का हो सकता है जिनकी संख्या जरूरत से कम है तो वकालत में भी अढ़ाई सौ रुपया देने की बात जो मेरे अनुमान से सही लगता है, यह जरूर होनी चाहिये इस ओर मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए। उसके बाद पेन्शन की भी बात है। वेलफेयर स्कीमस बहुत सारी आल-इंडिया बार कौन्सिल या स्टेट बार कौन्सिल की तरफ से कुछ ली जाती हैं, परन्तु उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वे सचमुच वकीलों का कुछ वेलफेयर कर सकें और इसलिए आज ओल्ड-एज पेन्शन भी लाया गया है और मास स्केल पर ओल्ड एज पेन्शन स्वतंत्रता सैनानी को मिल रहा है। तो यह वकील जिनकी हालत खराब हो जाती है, तो उनको कम से कम एक खास एज, जो हम चाहते हैं कि कम से कम अगर जिसकी तीस वर्ष की प्रैक्टिस हो वकालत में और वह चाहे तो उसको पेन्शन देनी चाहिए। उसको पेन्शन देना बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि पेन्शन नहीं देने से जो बूढ़ों की

हालत होती है, मैं बिहार बार कौन्सिल का मेम्बर हूं, जब बूढ़े वकीलों की हालत देखता हूं, तो दया आती है ।

अब ऐसी हालत आ गई है कि वड़े-बूढ़ों को कम्पीट करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि अब सिर्फ ला-प्वाइंट्स पर बहस की बात नहीं है और भी बहुत सी कावलियत चाहिए, सिर्फ ला-प्वाइंट्स जानने से उसकी वकालत नहीं चल सकती है । इसलिए मंत्री महोदय से मैं आग्रह करूंगा कि ओल्ड एज में—अब आप भी ओल्ड एज में आ रहे हैं—हम यह नहीं कह रहे हैं कि जो वे मांगें....

श्री उपसभापति : मंत्री जी ओल्ड एज में नहीं पहुंचे हैं ।

श्री राम लखन प्रसाद गुप्त : उसके बाद एक लीगल एड की बात है । लीगल एड इसी कांग्रेस गवर्नमेंट के समय में ही शुरू की गई थी, इमरजेंसी में ही और उसमें लीगल एड की बात बहुत हुई, हंगामा बहुत हुआ, परन्तु हुआ कुछ नहीं । 1977-78 और 1978-79 में बहुत कम अलाटमेंट....

(Interruptions).

एक माननीय सदस्य : 1977-78 में तो आप थे ।

श्री राम लखन प्रसाद गुप्त : आपकी जब प्रशंसा करने है, तब भी नहीं सुनना चाहते हैं । जब आपकी गवर्नमेंट थी, आपने लीगल एड शुरू की थी 1976 में और अब भी आपकी सरकार है, तो कम से कम अब तो लीगल एड धड़ल्ले से शुरू करवाएं । इतने सारे जो गरीब लोग मारे जा रहे हैं लीगल एड की

कमी के कारण, उनको राहत मिले । अभी तक जैसे मैंने पढ़ा है कि जस्टिस भगवती और जस्टिस ग्रथर ने कुछ रिपोर्ट दी । उस रिपोर्ट पर मंत्री महोदय ने जवाब भी दिया है इस हाउस में कि उसका गहरा अध्ययन किया जा रहा है और कुछ करेंगे । हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कुछ हो । लीगल एड के बगैर हर रोज हिन्दुस्तान के लाखों व्यक्ति तबाह हो रहे हैं । इसलिए कम से कम लीगल एड की व्यवस्था जल्दी से जल्दी की जाए ।

अंत में मैं एक चीज की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि इस समय चारों ओर हिन्दुस्तान के वकीलों के अन्दर बौखलाहट सी आ गई है । हर जगह यह रजोल्यूशन पास हो रहे हैं—दिल्ली और पटना हाई कोर्ट में, बार एसोसिएशन में और सब जगह कि एडवोकेट्स एक्ट में सैक्शन 30 में अमेंडमेंट्स लाना चाहते हैं । उसमें क्या है ? उसमें यह है कि एडवोकेट को हर कोर्ट और ट्रिब्यूनल में अपियर होने का कंस्टीट्यूशनल राइट है.....

श्री कल्याण राय (पश्चिमी बंगाल) : लेबर ट्रिब्यूनल में नहीं सांगते हैं ।

श्री राम लखन प्रसाद गुप्त : सुनिये ना । सैक्शन 30 कहता है—

"Subject to the provisions of this Act, every advocate whose name is entered in the State roll shall be entitled as of right to practise throughout the territories to which this Act extends,—

(i) in all courts including the Supreme Court;

(ii) before any tribunal or person legally authorised to take evidence; and

[श्री राम लखन प्रसाद गुप्त]

(iii) before any other authority or person before whom such advocate is by or under any law for the time being in force entitled to practise."

अब यह राइट यह छीनना चाहते हैं और यह एक अमेंडमेंट लाना चाहते हैं जिसके अनुसार कि बाई स्पेशल लैजिस्लेशन एडवोकेट्स को डिबार किया जा सकता है—टु एपियर इन स्पेशल कोर्ट्स एंड टु एपियर इन ट्रिब्यूनल्स—यह जो प्रोविजन लाने की बात हो रही है, इससे बहुत ही डर पैदा हो गया है। डर वकीलों को अपने खाने पीने के लिए, ब्रेड और बटर के लिए नहीं हैं, डर पैदा इसलिए हुआ है कि जो डैमोन्स्ट्रेटिव सैट अप में है, अगर डैमोन्स्ट्रेटिव सैट अप में से जस्टिस को हटा लेते हैं, अगर ट्रिब्यूनल को या स्पेशल कोर्ट को उचित न्याय के देने में हम मदद नहीं करते हैं, तो उस कोर्ट और ट्रिब्यूनल का हक भी हम समाप्त करते हैं। उसका हक है कि लाइयर से सहायता लें और लाइयर से सहायता लेने पर ही उचित न्याय पर कोई पहुंच सकता है, क्योंकि यह कहावत भी है कि जैसा बार होगा वैसा ही बैच होगा, जजमेंट होगी, जिस तरह के वकील होंगे, उसी तरह के फैसले होंगे, अच्छे वकील अच्छे प्वाइंट्स दे सकते हैं, तो फैसले भी अच्छे होंगे। इसलिए वकीलों को वहां जाने से डिबार करना यह बहुत सी कोर्ट्स में उनके राइट को छीनना है और जो पुअर क्लाईंट्स हैं, लिटिगेंट्स हैं जो अपने व्यूज को उचित रख नहीं सकता है, जो अपनी टेक्नीकैलिटीज को नहीं समझता है, लीगल एंड की इम्प्लीकेशंस को नहीं समझता हैं उसको उसके सामने ले जाना यह तो बाध के मुंह के सामने बकरी को पहुंचाना है—वहां पहुंचा दे और फिर जो चाहे सो करेगा।

इसकी वजह से उपसभापति जी, बहुत बड़ा करप्शन हो रहा है।

It will amount to nationalisation of corruption by such courts, such executives. इसलिए हम इसका विरोध करते हैं कि अगर इस तरह के अमेंडमेंट की बात अगर हो तो यह बिल्कुल ही नहीं लाया जाय। इसका मतलब सिर्फ यह होगा कि ऐसा करके हम बहुत सारी जगहों से लायर्स को डिबार करेंगे। जस्टिस के अन्दर कहा जाता है कि लायर्स लिटिगेशन को बढ़ाते हैं। लायर्स लिटिगेशन को नहीं बढ़ाते हैं, लायर ला को इन्टरप्रेट करते हैं, उसके बाद जज के ऊपर है वह फैसला कहां पर दें, कैसे दें, लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो एक नहीं हजारों केसेज, जो कि अगर ट्रिब्यूनल में लायर नहीं लायेंगे तो वैसी हालत में न्याय नहीं मिलेगा। उपसभापति महोदय, मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर आपके द्वारा लायर को ट्राइब्यूनल में से डिबार किया जाएगा और जजमेंट गलत आएगा आपका, तो रिट पेटीशंस का फैसला करना पड़ेगा, हाई कोर्ट में बहुत केसेज जायेंगे। आप ट्राइब्यूनल में लायर को डिबार कर सकते हैं लेकिन हाई कोर्ट में नहीं कर सकते हैं। इसलिए किसी भी तरह से एडवोकेट ऐक्ट में जो अमेंडमेंट इस प्रकार का लाना चाहते हैं वह न लायें, और अगर आप लायेंगे तो सारे हिन्दुस्तान के वकील आपके खिलाफ होंगे। हम सभी उसके विरुद्ध आन्दोलन करेंगे। उसमें सरकार अगर यह कहे कि यह राजनैतिक प्रेरित आन्दोलन है तो हम सुनने वाले नहीं हैं। लायर्स इसके लिए आन्दोलन करेंगे। इसलिए मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि इस तरह का गलत कदम नहीं उठायें और लायर जिस सरकार के खिलाफ जाता है वह सरकार नहीं टिक सकती है। वह आपके खिलाफ हो कर जाएगा। आपकी सरकार नहीं टिक सकेगी। यह मेरी नेक सलाह आपसे है।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : उपसभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ और यह पहले ही आ जाना चाहिए था तब भी आप इतने दिन बाद ले आए इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ ।

श्रीमन्, मैं मंत्री जी का ध्यान उन एडवोकेट्स की तरफ खींचना चाहता हूँ जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं प्रैक्टिस करते हैं या यहां प्रैक्टिस करते हैं लेकिन बहुत जूनियर हैं । उनकी जो सही हालत है उससे माननीय शिवशंकर जी वाकिफ हैं । इस समय जैसे एजुकेटेड लोगों में बेरोजगारी व्याप्त हुई है उसी तरह से एडवोकेट्स क्लास में बेरोजगारी बड़े पैमाने पर व्याप्त हुई है । श्रीमन्, इसका रास्ता निकल सकता है । वैसे तो मंत्री लोग आते हैं, वायदे करते हैं, चले जाते हैं लेकिन मुझे विश्वास है कि माननीय शिवशंकर जी अगर ध्धर ध्यान देंगे तो अपने कार्यकाल में इसके लिए कोई न कोई रास्ता वे निकाल सकते हैं और मुझे विश्वास है कि वे अपना प्रयास करेंगे और रास्ता निकालेंगे ।

श्रीमन्, एक लीगल एड का मसला है और यह मसला, मेरा खयाल है, दस, बारह, पन्द्रह साल से सरकार के सामने है । लीगल एड की बात तो की जाती है लेकिन जो उसमें असली दिक्कत है वह फाइनेंस की है । मुझे मालूम है, जिस समय एडवोकेट ऐक्ट अमेंड हो रहा था, मैं उसकी जोइन्ट कमेटी में था और यह चर्चा आई कि एडवोकेट ऐक्ट में ही लीगल एड का कोई प्राविजन किया जाय । मगर उस समय के ला सेक्रेटरी ने कहा कि हम अलग से बिल ले आ रहे हैं इसलिए इसमें प्राविजन मत कीजिए । उस समय जो कुछ मालूम हुआ उससे यह लगा कि

सरकार के पास जो असेसमेंट है उसमें कहा जाता है कि इसमें 100 करोड़ रु० से ज्यादा खर्च होगा । यह सात-अठार साल पहले की बात है सौ करोड़ ज्यादा खर्च होगा और इसलिए सरकार लीगल एड की स्कीम को लागू नहीं सकती है । आज के स्तर से जो आज रुपए का मूल्य हो गया है उसके हिसाब से अब जो असेसमेंट आया वह 4 या 5 सौ करोड़ का आया । इसलिए सरकार आसानी से इस स्कीम को नहीं बना पाएगी । लेकिन एडवोकेट्स का समर्थन लेकर, बार कौंसिल का समर्थन ले कर इस लीगल एड की स्कीम को चालू किया जा सकता है और लागू किया जा सकता है । इससे दोनों तरफ लाभ होगा । एक तो लीगल एड होगी लाखों लोगों को जो गरीबी और मजबूरी की वजह से लीगल एड नहीं जुटा पाते, वह उनको प्राप्त होगी और दूसरे जो अनइम्पवाइड एडवोकेट्स हैं—मैं उनको अनइम्पवाइड ही कहता हूँ क्योंकि जहां सुबह से शाम तक दो, चार, पांच सौ रुपए भी न मिलें और वह सुबह 10 बजे आकर कोर्ट कंपाउन्ड में बैठ जायें और शाम को 5 बजे चले जायें तो उन्हें मैं अनइम्पवाइड ही कहूंगा, तो इस तरह के जो अनइम्पवाइड एडवोकेट्स हैं उनके लिए भी कुछ रिम्युनरेशन की व्यवस्था हो जाएगी । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वे अपनी लीगल एड की स्कीम में एडवोकेट्स का कोआपरेशन रखें और उनको शामिल करें तो यह स्कीम आसानी से लागू हो सकती है क्योंकि वाकायदा वित्त मंत्रालय उनको लीगल एड की स्कीम के लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराने के लिये तैयार नहीं होगी ।

श्रीमन्, अभी हमारे मित्र ने जो बात कही कि इस तरह की चर्चा है कि ट्राइब्यूनल्स में एडवोकेट्स को जाने से रोका जाय और कल्याण राय जी ने भी बड़े जोर

[श्री नागेश्वर प्रसाद शाही]

से कहा कि लेबर ट्राइब्यूनल्स में उनको हरगिज नहीं जाना चाहिए, तो मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बताता हूँ कि 25, 30 साल से यह सो काल्ड एडवोकेट्स जो लेबर कोर्ट्स में प्रैक्टिस करते हैं और जो एक दिन भी कानून नहीं पढ़े हैं उनकी फीस 5 हजार और 10 हजार रुपए होती है और जो लेबर यूनियन्स हैं वह गरीब मजदूरों के बन्दे से जो रुपया इकट्ठा करती है वह इन अन-क्वालीफाइड और अनडिजिटिंग सो काल्ड एडवोकेट्स को दिया जाता है लम्बी लम्बी फीसों के रूप में और मैं अपने कानपुर के दो तीन साथियों के नाम बता सकता हूँ जो लेबर कोर्ट्स में प्रैक्टिस करते हैं और एक भी कानून की किताब नहीं पढ़े हैं और एल०एल०बी० और एल०एल०एम० भी नहीं हैं, मगर लेबर कोर्ट्स और लेबर ट्राइब्यूनल्स में प्रैक्टिस कर के कानपुर में फैक्टरी ओनर बन गए हैं। इस लिए जिस चीज की ओर कल्याण राय जी ने इशारा किया कि लेबर कोर्ट्स में उन को नहीं आना चाहिए उस से बुरी हालत है आज और आप जब लेबर कोर्ट्स में रिटायर्ड जज को अप्वाइंट करते हैं तो एडवोकेट्स को आप उन में जाने से क्यों बार करते हैं, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। दोनों ऐंगिल्स से यह बात समझ में नहीं आती। जब वहां एडवोकेट्स जायेंगे तो मेरा ख्याल है कि कंपिटिशन हो जायगा और सोकाल्ड लेबर लीडर्स जो उन का शोषण करते हैं, गरीब मजदूरों का, यूनियन्स का, वह शोषण भी बहुत हद तक बंद हो जायगा, बंद हो सकता है। इस लिए मैं निवेदन करूंगा कि इस पर भी आप विचार करें। दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप एक सर्वे करा लें। हम बात तो बहुत करते हैं शैड्यूल

कास्ट और शैड्यूल ट्राइब्यूनल की मगर आप स्टेट गवर्नमेंट से लिस्ट मंगा लें कि कितने गवर्नमेंट एडवोकेट्स सिविल साइड में हैं, कितने क्रिमिनल साइड में हैं, कितने रेवेन्यू साइड में हैं। ऐडी-शनल गवर्नमेंट एडवोकेट्स, डिप्टी गवर्नमेंट एडवोकेट्स, असिस्टेंट गवर्नमेंट एडवोकेट्स और पीनल एडवोकेट्स सब की लिस्ट मंगा लें और देखें तो शायद एक पर-सेंट भी आपको उसमें शैड्यूल कास्ट और शैड्यूल ट्राइब्यूनल के लोग नहीं मिलेंगे। इसलिए कि उनके लोग ऊपर नहीं हैं। माफ कीजिएगा उनकी बिरादरी के आदमी ला-मिनिस्टर नहीं हैं।

डा० रफीक जकरीया : पहला ला मिनिस्टर तो वही था।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : जकरिया साहब, वी काइंड टू मी एट-लीस्ट। इसलिए श्रीमन्, मैं निवेदन करूंगा कि आप जरा स्टेट गवर्नमेंट्स को डाइरेक्ट तो नहीं कर सकते हैं मगर आप उन्हें सजैस्ट तो कर सकते हैं या परसुवेड कर सकते हैं कि इनका भी ध्यान रखें ताकि हमारी पालिसी केवल कागज पर ही न रहे।

श्रीमन्, अभी एक साथी ने इशारा किया कि एडवोकेट क्लास को छोड़ देना चाहिए क्योंकि यह प्रबुद्ध क्लास है, यह बड़े लार्ज स्केल पर पोलिटिक्स में है और बड़ी संख्या में लोग राज-नीति में हैं। वह स्वयं अपनी कांफ्रेंस करें, अपने सेमिनार करें, अपने विचार व्यक्त करें, वह ज्यादा अच्छी चीज है। अगर आप गवर्नमेंट फंड से या गवर्नमेंट की ओर से मैनिपुलेट करके एडवोकेट्स की कांफ्रेंस करायेंगे तो मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि अल्टीमेटली आप उस क्लास को डिग्रेड

करेंगे और डिजनरेट करेंगे । आप उस क्लास का नैतिक स्तर गिरावेंगे, उठावेंगे नहीं । इसलिए अभी जो कुछ दिनों से या कुछ सालों से लायर्स फोरम या इस तरह की चीजें पैदा की जा रही हैं वह ऐडवोकेट क्लास के लिए अच्छी नहीं हैं और उनको प्राम्प्ट करके, उनकी कॉर्फ्रेंसेज आप करावेंगे तो उस क्लास के लिए बहुत नुकसानदेह होगा क्योंकि यही एक क्लास है जो बड़ा प्रबुद्ध है, कानून का ज्ञाता है, चीजों पर विचार करता है, देश की समस्याओं पर विचार करता है । उनको आप छोड़ दें तो जो विचार चाहें वह व्यक्त करें लेकिन प्राम्प्टेड कॉर्फ्रेंसेज करावेंगे तो वह देश के हित में नहीं होगा, अहित में होगा क्योंकि उसके रिएक्शंस भी बरे होते हैं । इसलिए भगवान के नाम पर उनकी प्राम्प्टेड कॉर्फ्रेंसेज कराना बन्द कर दें । आप जो कुछ करा देते हैं उसके प्रतिवाद स्वरूप जो होता है वह भी अच्छा नहीं होता । किसी बुरे काम का प्रतिवाद भी अच्छा नहीं होता, प्रतिवाद भी बुरा होता है । इसलिए जो प्राम्प्ट करके करावेंगे तो दूसरी तरफ से भी ऐसा होगा । दोनों ओर से प्राम्प्टिंग होगी तो वह भी बुरा होगा । उनको आप छोड़ दीजिए । उनको बार काउंसिल्स में बैठकर विचार करने दें, विचार करके मेजरिटी फैसले वह जाहिर करें या माइनारिटी फैसले जाहिर करें । आपने स्वयं बार काउंसिल का एक फोरम बना रखा है, अच्छा फोरम है, वह बार काउंसिल को मोटिंग में रेजूलेशन पास करे, देश का कैसा सैट-अप चाहते है वह अपने विचार व्यक्त करे लेकिन चन्द लोगों को पकड़ करके, बांडेड लेवर की तरह बैठाकर उनसे आप कोई प्रस्ताव पास कराये तो इसका असर बुरा होगा ।

श्री उपसभापति : अब आप समाप्त कर दीजिए ।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : अब मैं समाप्त ही करूंगा । आखिर मैं कहूंगा कि मंत्री जी जजेज की वकैन्सीज क्यों नहीं फिल अप कर रहे हैं । आपकी सरकार है । आपके चीफ जस्टिस से अच्छे सम्बन्ध भी हैं । आप अपनी ईमानदारी के लिए भी मशहूर हैं । हम सब इक्नोलिज करते हैं । राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस तरह का काम देश के लिए अच्छा नहीं होगा । मैं तो कहता हूँ कि जब आप बार से भी जजेज लेते हैं तो बार के लोगों के अपने पालिटिकल विचार होते हैं और वह अपने पालिटिकल विचार छोड़ कर नहीं जायेंगे । उनके पालिटिकल विचार रहेंगे हम सभी जानते हैं और मेरा ख्याल है कि कभी इसे टाला नहीं गया । कभी समाज की समता लाने के लिए किसी कानून को सुप्रीम कोर्ट ने रोका नहीं । अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के ट्राइब्यूनल ने कहा भी है कि हम कानून को इन्टरप्रेट करते हैं । कानून तो वहाँ संसद में बनता है । जब कानून यहाँ बनता है तो कानून को तरमीम करने का अधिकार भी इसी संसद को है । हमने केवल इन्टरप्रेट का उनको दिया है तो हमारे लिए उन पर लाइन लगाना कि वह तो अपने समाज और समता के काम में बाधक होते हैं, मेरे ख्याल में उचित नहीं है । अभी तक जिस तरह के फैसले सुप्रीम कोर्ट के हुए हैं उनसे मेरा ख्याल है कि सरकार को कोई शिकवा, शिकायत नहीं होनी चाहिए । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस से जनरल इम्प्रेशन बुरा पड़ रहा है । चार-चार पांच-पांच हाई कोर्ट्स में चीफ जस्टिस की कुर्सीयां खाली पड़ी है यानी आफिशियेटिंग चीफ जस्टिस काम कर रहे हैं ।

श्री उपसभापति : आप दोहराइये नहीं ।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : मैं दोहरा नहीं रहा हूँ । मैं बिल्कुल नहीं दोहराऊंगा । मैं इतना

[श्री नागेश्वर प्रसाद शाही]

ही निवेदन करूंगा कि आप कृपया हाई कोर्ट सैं में चीफ जस्टिस की कुर्सियां खाली न रखें इससे आप का बैकलाग बढ़ेगा, कैसेज बढ़ेंगे अगर सीट खाली रहेंगी। 'मत' कहिये या 'भ्रम' कहिये लोगों में यह बात बनती जा रही है कि सरकार अपने विशेष टाइप के लोगों की खोज में है और शायद कानून मंत्री का अपने चीफ जस्टिसों के साथ एडजेस्टमेंट नहीं हो पा रहा है।

श्री उपसभापति : अब आप छोड़ दीजिए।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : आखिरी बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। हाई कोर्ट का तो मुझे पता है सुप्रीम कोर्ट का मैं नहीं कहता कि जब जस्टिस रिटायरमेंट के नजदीक आता है यानी एक दो साल रिटायरमेंट के रह जाते हैं तो वह चीफ मिनिस्टर और ला मिनिस्टर के यहां ज्यादा विजिट पे करते हैं।

श्री शिव शंकर : कमीशन के वास्ते ?

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : मैंने यह देखा है, दो-तीन जगह मैंने देखा है, अपने यू० पी० स्टेट में भी मैंने देखा है कि जजेज चीफ मिनिस्टर और ला मिनिस्टर के यहां चक्कर लगाते हैं। एक बार कमीशन बन जाता है और सरकार को उम्मीद रहती है कि एक-डेढ़ साल में रिपोर्ट आ जाएगी तो उसको पांच-साल तक चला लेते हैं। इसलिए मुझे यह निवेदन करना है कि आप यह नीति अपनायें कि कमीशनों में सिटिंग जजेज को ही रखें, रिटायर्ड जजेज को कमीशनों में रखने की प्रथा को समाप्त कर दें, अन्यथा होता यह है कि साल, दो साल पहले से ही जजमेन्ट कुछ टेन्टेड और टिल्टेड

दिखाई देने लगते हैं। उसको रोकने के लिए, मेरा निवेदन है कि आप कमीशनों में सिटिंग जजेज को ही रखें, रिटायर्ड को न रखें। लेकिन अगर आप देखते हैं कि रिटायरमेंट के बाद उनकी फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं रहती है तो मेरा नम्र निवेदन है कि आप उनके पै-स्केल और पेंशन स्केल को रिवाइज करें और इसके लिए एक करोड़, दो करोड़, चार करोड़ जितना भी खर्चा आए उसकी व्यवस्था करें, परन्तु उनके स्तर को गिरने न दें।

श्री उपसभापति : अब आप कृपया समाप्त कीजिए।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : श्रीमन्, अब मैं समाप्त कर रहा हूँ। इन शब्दों के साथ मैं पुनः इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

इस बिल पर एक अमेन्डमेंट भी है कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाय। यह अमेन्डमेंट हम लोगों को सरकूलेट किया गया है।

श्री उपसभापति : यह अमेन्डमेंट भूव नहीं किया गया है।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : लेकिन यह हम लोगों को सरकूलेट किया गया है। यह अमेन्डमेंट श्री रामानन्द यादव का है।

श्री रामानन्द यादव (बिहार) : मैंने इसको उठा लिया है।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : लेकिन यह हम लोगों को सरकूलेट किया गया है।

श्री उपसभापति : इसमें नाम पहले नहीं दिए गए हैं।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : तो फिर यह कैसे सरकुलेट कर दिया गया है । यह एक व्यवस्था का प्रश्न है । इस पर आप अपना फैसला दें । आपके आफिस ने इस एमेन्डमेंट को सरकुलेट किया है ।

श्री उपसभापति : आप पहले सुन लीजिए । जिस एमेन्डमेंट को आपको सरकुलेट किया गया है उसको आप देख लीजिए । उसमें माननीय सदस्यों के नाम नहीं दिये गए हैं । बिल के साथ और एमेन्डमेंट के साथ मेम्बरों के नाम होने चाहिएं थे । चूंकि यह एमेन्डमेंट इन-ऑर्डर नहीं था इसलिए मूव नहीं हुआ ।

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): Sir, this is a simple Bill. But I begin by congratulating the Supreme Court Bar Association, an organisation of Advocates. It is only fit and proper that we express a word of good cheer for our Advocates, when we are discussing problems relating to them. They are doing a very good job. We may have some words of criticism also later.

Sir, I invite your attention to a news item published almost in all the daily papers of Delhi today. I have got one paper with me. Other papers are also here. This news item is under the caption "Defence of Constitution by Antulay alleged". That is the caption. Mr. Antulay himself is an Advocate. But he has now become an Advocate of the Presidential system, having been, during the emergency, an Advocate of the caucus. He has changed his advocacy from the caucus to the Presidential system. I do not know, when this is averted, what he will advocate. But, here, I may congratulate our Supreme Court Bar Association. The news item reads thus:

"The Supreme Court Bar Association on Monday strongly disapprov-

ed the attack on Parliamentary democracy by the Maharashtra Chief Minister, Mr. A. R. Antulay, and urged the President to examine whether he should be asked to resign under article 355 of the Constitution for its defiance. The resolution adopted by voice vote at the meeting of the Bar Association in New Delhi said, Mr. Antulay was bound by the constitutional oath of his office to bear true faith and allegiance to the Constitution with parliamentary democracy as its basic structure. The President of India must take note of the defiance of the Constitution by the Chief Minister of Maharashtra and should examine whether under article 355 of the Constitution Mr. Antulay should not be asked to resign so that the Government of Maharashtra could be run in accordance with the Constitution, the resolution said."

Now, Sir, you will ask how the advocate issue comes in. It does come in because here our advocates are rendering a good service to the nation. The Supreme Court Bar Association, that body of advocates, I must say, has rendered an excellent service to the nation by coming out in a forthright manner and I hope that the other Bar Association in the country, the High Court Bar Associations, the District Bar Associations, etc. will follow suit.

It is a wonderful example of leadership that they have given. I am not one of those who only criticise our lawyers. When they do good things, I recognise them and I would expect them to follow them up. I only wonder whether the Bar Council should not consider the question of disqualifying Mr. Antulay from the membership of the Bar. Well, if the British, for their wicked imperialist cause could disqualify even men like Mahatma Gandhi, for ignoble purposes, why should we not, for the protection of democracy, for the dignity and honour of our parliamentary system, disqualify or why should not our Bars disqualify men like Mr. Antulay?

SHRI SHIV SHANKAR: For your information, he is not a member of the Bar Council. (*Interruptions*).

DR. RAFIQ ZAKARIA: He is.

SHRI SHIV SHANKAR: He is not. (*Interruptions*)

SHRI BHUPESH GUPTA: He is a barrister. I am only asking the Bar. I am also a member of the Bar. (*Interruptions*). Please understand this. I am only asking the Bar Council. I cannot ask the Middle Temple or Inns of Court to disqualify him. Now, Sir, I come to another thing. (*Interruptions*).

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Order, please. Yes, Mr. Bhupesh Gupta, you please continue . . .

SHRI BHUPESH GUPTA: It is not my habit to continue when the Minister is speaking. (*Interruptions*). Now, Sir, why had this Bar Council become agitated? They became agitated and rightly so. There we have not the barrister, but a barrister's wife, an advocate's wife, also coming from Bombay, who had an interview with the mighty Chief Minister of Maharashtra. Perhaps some day he will claim that he is a new version of something like Shivaji. Now, coming to Mr. Antulay: Mrs. Fatima Zakaria talks to Mr. A. R. Antulay, the Chief Minister of Maharashtra. It has appeared in the "Sunday Review" of the "Times of India", with a big portrait of Mr. Antulay, Barrister, Chief Minister and formerly of the caucus.

Now, Sir, what does he say? I am grateful to that lady, our friend's wife, Mr. Rafiq Zakaria's wife, for enlightening us. I have no quarrel with her.

DR. RAFIQ ZAKARIA: She is an editor and a journalist in her own right.

SHRI BHUPESH GUPTA: She is certainly not an editor in your right. Yes, I agree with you. I have great

admiration for her. She has rendered a service, wittingly or unwittingly—that I do not know that you better find out—by exposing Mr. Antulay. And you read this thing. Sir, such people are in the Bar; they become Ministers; they become Members of Parliament. Sir, I think, you were in the House during the emergency. Were you not in the House?

SHRI KALPNATH RAI (Uttar Pradesh): He was.

SHRI BHUPESH GUPTA: You know very well, Sir, that we brought a charge that some people in the Congress Government at that time or around the caucus or inside the caucus had drafted a constitution for the Presidential system and got it circulated. I even said that it had been done in the Parliament House. Everybody in those benches denied it.

SHRI KALPNATH RAI: It is not correct.

SHRI BHUPESH GUPTA: I am telling you, keep quiet. Mr. Kalpnath, why are you getting up? You have become now the General Secretary. At that time you were not. Everybody said it. I said it and I wrote it in the 'New Age' the journal I edit. I said in Parliament again and again. I wrote in the pamphlets that our Party brought out. I charged the Government that some people around the throne preparing a draft clandestinely and circulating it to prepare the ground for a change over to the Presidential system, which was, of course, aborted. Mr. Antulay was sitting somewhere here. They said, "No, no. We have not done it. We do not know anything about it." Now, what Smt. Fatima Zakaria inform us? A very clever lady. And I might take my hat off to that lady. Here, the question from Smt. Fatima Zakaria was, and I quote: "The recent lawyers' meeting in Delhi has once again sparked of a controversy over what would be the best form of Government." I think you were one of the first in the Congress Party to

have mooted the idea of the necessity for a change in the system. Was that not during the emergency when a draft of a new Constitution was prepared and was circulated? It was then rumoured that you were the author of the draft. Note the question. Wonderful lady I must, say.

SHRI KALPNATH RAI: Do you also appreciate ladies?

SHRI BHUPESH GUPTA: Do you think you only admire ladies?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is a news that you are also admiring ladies.

SHRI BHUPESH GUPTA: Now, listen to the reply. Here I am quoting Mr. Antulay. "That is true. I had prepared the draft. You note the first person singular. He said, "I had prepared the draft" "You mentioned in 1976." Now, Bhupesh Gupta stands vindicated in the House on the basis of the confession of the real culprit. (Interruption) I am reading from this for your benefit. He said, "That is true. I had prepared the draft" "You mentioned in 1976." But "I had proposed the Presidential system of Government as it existed in the United States today with certain modifications. I had also to some extent borrowed from the French system. I thought the proposal contained in my draft would be far more suited to our country than the present system. Now, here is an advocate. In the House, when he was not the Chief Minister, he did not have the courage to get up and say, "Yes, Mr. Gupta, I had prepared the draft." Why not? At that time, the emergency was on their side, the caucus was having a roaring business, and Mr. Antulay was the staunch supporter of the caucus. Why did he not have the courage to own up? What is the point in owning up four years after? Such a man you have posted as the Chief Minister of one of the greatest and noblest States of our Indian Union. (Time bell rings). Sir,

1195 RS—10.

please don't ring the bell. Now, I would not say very much. I will be returning to this subject in some other form notice of which has been given. Finally, what so-called parliamentary system and did he say in the interview? He has said: "I am firmly of the opinion after studying the various Constitutions of the world and the functioning of our own Constitution in the last 30 years—when did he study all these things I do not know—that it is high time that we discarded the so-called parliamentary system and adopted a presidential form of Government, which is most suitable to our needs so as to bring about rapidly the socio-economic changes that our country badly needs" Wonderful. In this connection advocates are being mobilised now.

Mr. Antulay on the 14th October address a meeting of the Bombay lawyers where he spread the same idea. In reply to a question on the subject, the Law Minister said that he got a message, something on the teleprinter, but the message did not say that he was pleading for a presidential system at that meeting. But here he was pleading for it. Now, this is very serious matter. Advocates are being mobilised....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: A statement is to be made at 4 o'clock, so please conclude now.

SHRI BHUPESH GUPTA: My statement is far more important than the statements that they make.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude before 4 o'clock..

SHRI BHUPESH GUPTA: I am rendering a service to the nation. Of the statements that the Ministers make, some of them can be put into the pipe and you can smoke. I am not talking about them.

Now, last October, a meeting was organised in New Delhi, a lawyers meeting, an All-India Lawyers Conference—a flamboyant title.

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI SITARAM KESRI): Of eminent lawyers.

SHRI BHUPESH GUPTA: Yes, one of the sponsors of the conference was the leader of the Bar, but that is the Oberoi Bar. He happens to be the Director of the Oberoi Hotels, which runs so many bars. He is a member of the bar all right but he is the leader of the Oberoi bar. Under the circumstances this conference was organised to push the idea of the presidential system, perhaps. But there was a fiasco. I am not bothered about these puppets, those who go in for command performance, nor these Cinderellas or the cronies or the manipulated creatures. They are all around us abounding in society. But I am deeply distressed to find that the Prime Minister of the country went to inaugurate that conference, indirectly to bless it, if not inciting the lawyers to go ahead with it. Does she not have any other job? Is there no other function for her to inaugurate? If she says she has none, I will arrange some for her. I would not use the words Oberoi bar leaders and others. They have been brought together, packed in a body, in order to indulge in that cacophony in support of the demand for the presidential system and the Prime Minister goes to open it, inaugurate it. Has the Prime Minister done any good thing for herself by doing any thing? She should ponder over it. I think she disgraced herself. She has damaged herself. She has damaged our institutions. The Prime Minister is bound by the oath of office to protect and preserve the Constitution just as Mr. Antulay. For the Prime Minister of the country—I do not bother about Mr. Antulay—to go to such functions and do something which contradicts the oath of office is improper. Well, you do not preserve or protect the Constitution or defend the Constitution by egging on people who subvert Parliamentary system and replace it by a Presidential system. I do not know what the lawyers will say.

4 P.M.

And Mr. Antulay had gone to the National Integration Council Meeting as Maharashtra Chief Minister. We expected that he would speak about the problems of National unity and national integration in Maharashtra. But that gentleman, my young friend Antulay, supposed to be a go-getter, began his speech by saying—of course he paid tributes to Shrimati Indira Gandhi; that is a common way which everybody does; I am therefore not bothered—that the country should have presidential system, to make Shrimati Indira Gandhi the President. I do not know how Shri Sanjiva Reddy was feeling. But I do know in 1976 when the proposal was made for a Presidential system, I know it for a fact, Fakhruddin Ali Sahib, the then President of India, nearly got a heart attack....

SHRI HARI SINGH NALWA (Har yana): On a point of order, Sir, May I ask the hon. Member what is its relevance to the present Bill? Sir, Mrs. Gandhi has become a phobia with these people. They have fought against Mrs. Gandhi when she was out of power and they are fighting Mrs. Indira Gandhi now when the whole country is behind her. They could not do anything against her when she was put in jail. (Interruptions). I want to know what is the relevance of his speech? He is such a seasoned and old Parliamentarian and he is talking irrelevant things, wasting the time of the nation. They should help the Government. (Interruptions).

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please take your seat.

SHRI HARI SINGH NALWA: They should help the Government. I want to know what benefit we are getting from his speech. He is wasting the time of the House and of the nation. I would not allow them to waste the time of the nation. I have come to set them right, to put them on the right path. They should help the poor, help the Government to remove

poverty from the country. Instead, they are doing harm to the farmers, they are doing harm to the nation. I would request him to speak to the point. . . (Interruptions).

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Bhupesh Gupta, please conclude now.

SHRI BHUPESH GUPTA: The intervention has been well-made and I hope Shrimati Indira Gandhi will make him if not the Deputy Prime Minister, at least a Deputy Minister I appreciate it. Sir, I do not object to it because if such interventions against Bhupesh Gupta help my friends here, why should I object?

SHRIMATI USHA MALHOTRA: (Himachal Pradesh: But... (Interruptions)).

SHRI BHUPESH GUPTA: No, no, you are not doing. Sir, we had heard of the Charge of the Light Brigade. We had been accustomed to it. Now we are having a charge of the ladies brigade.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Bhupesh Gupta, you may now take your seat.

SHRI BHUPESH GUPTA: All right I will sit down and after this, I will resume.

Statement by Minister

Iran-Iraq conflict

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI P. V. NARASIMHA RAO): Mr. Deputy Chairman, Sir the House is aware that for the past few years strains have been evident in the relations between countries in West Asia. This has caused us much anxiety and it has been India's endeavour to prevent any destabilisation of the entire region. Since Parliament rose in August, a further unfortunate development has taken place in the form of an open armed conflict between Iran and Iraq.

The continuing war between Iran and Iraq, two countries with whom India has close and long-standing ties, is a matter of deep concern and

distress to India. From the very beginning of the war, India has made it clear that it has not taken and will not take sides and has expressed its anguish at the loss of life and property being suffered by both sides. India has consistently held that disputes between countries should be settled bilaterally and by peaceful means without recourse to war. We have also expressed our deep concern that prolongation or escalation of the present conflict could have grave implications on both regional and global peace and security.

Sir, when the first news of the beginning of the war came on 22nd September 1980, I was in New York for the UN General Assembly which had already been in session since 16th September 1980. I immediately held consultations with several other Foreign Ministers, including those of countries that are currently members of the Security Council. The general feeling of concern voiced in these consultations resulted in the Security Council meeting on 28th September 1980. The resolution adopted by the Council, however, did not succeed in securing a cease fire. I also took the earliest opportunity of meeting the Secretary-General of the United Nations with whom my discussions centred around the manner in which the UN could act in resolving the conflict.

I also met the Soviet Foreign Minister, Mr. Gromyko, and the U.S. Secretary of State Mr. Muskie. I was assured that both the U.S. and the USSR would remain neutral in the Iran-Iraq conflict. These decisions naturally helped in preventing the conflict from the danger of escalation and possible enlargement.

Since the resolution of the Security Council could not bring about a cease fire, the logical step was to find a solution which included a cease fire coupled with a process of negotiation to resolve the causes of the conflict. This, I regret to say, has eluded the international community so far. The